2023|116

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री भीमा राम
निवासी गर्ग वास धान
तहसील रेवदर
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 25 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.06.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 05.04.2023, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि सिरोही जिले में आबूरोड आगार कौनसे वर्ष बना एवं जब बना तब कितनी बसों का संचालन किया एवं कौन–कौन से रूट पर बस संचालित की एवं वर्ष 2000–2001, 2001–2002 में कितनी बस उपलबध है बसों की संख्या एवं रूट की प्रमाणित प्रति एवं वर्ष 2022–23 में कितनी बसों का संचालन किया जा रहा है एवं कौन–कौन से रूट पर किया जा रहा है। उपरोक्त सभी की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 05.04.2023, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि सिरोही जिले में आबूरोड़ आगार कौनसे वर्ष बना एवं जब बना तब कितनी बसों का संचालन किया एवं कौन–कौन से रूट पर बस संचालित की एवं वर्ष 2000–2001, 2001–2002 में कितनी बस उपलबध है बसों की संख्या एवं रूट की प्रमाणित प्रति एवं वर्ष 2022–23 में कितनी बसों का संचालन किया जा रहा है एवं कौन–कौन से रूट पर किया जा रहा है। उपरोक्त सभी की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (डॉ. भंवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:53:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner